उनवानः– परशुराम बनाम हरिमोहन वगै0 किस्म:– अपील नामान्तकरण

[illegible]0:– 13/2024

न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी:–अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

ता0रजू निर्णय दिनांक

मु0न0 09.04.2024 17/2/2025

13/2024

1. परशुराम पुत्र इन्दर जाति मीना निवासी ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अपीलान्ट

बनाम

1. हरिमोहन पुत्र स्व0 इन्दर जाति मीना
2. हनुमान पुत्र स्व0 इन्दर जाति मीना समस्त निवासीयान ग्राम बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर
3. जगदीश पुत्र स्व0 मुकेशी एवं राजेन्द्र जाति मीना
4. अंकित पुत्र स्व0 मुकेशी एवं राजेन्द्र जाति मीना उम्र 15 साल नाबालिक जरिये संरक्षक पिता राजेन्द्र पुत्र हरिमोहन मीना निवासीयान ग्राम चकेरी तहसील व जिला सवाई माधोपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सवाई माधोपुर
6. ग्राम पंचायत बाडोलास जरिये सरपच

अप्रार्थी

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम बाडोलास तस्दीक दिनांक 07.06.2010 द्वारा संरपच ग्राम पंचयत बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर

उपस्थितः–

1. श्री श्यामसुन्दर गुप्ता अपीलांट की ओर से।

:– निर्णय –:

अपीलांट ने जरिये वकील एक अपील प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम बाडोलास तस्दीक दिनांक 07.06.2010 द्वारा संरपच ग्राम पंचयत बाडोलास तहसील व जिला सवाई माधोपुर पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि 1. अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 खास भाई है जिनकी माता श्रीमति धनपति एवं पिता इन्दर मीना का देहान्त हो चुका है तथा एक ही खास बहन मुकेशी थी जिसका भी देहान्त हो चुका है एवं रेस्पो संख्या 3 व 4 मुकेशी के पुत्रगण है। अपीलान्ट के पिता इन्दर की मृत्यु दिनांक 27.07.2009 को हो चुकी है जिसकी ग्राम बाडोलास में कृषि भूमि स्थित है तथा उसकी मृत्यु के बाद पटवारी हल्का ने विरासत का यह नामांतकरण संख्या 360 उसके वारिसान अर्थात पुत्र–पुत्री एवं पत्नि के नाम भरा था जिसे सरंपच महोदय द्वारा स्वीकार कर तस्दीक फरमाया [illegible] इस नामांतकरण में रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 के नाम तो [illegible] दर्ज कर [illegible] ग[illegible] लेकिन पटवार हल्का की अनभिज्ञता व गलती से अपीलान्ट का [illegible] छुटटन दर्ज कर दिया गया एवं सरपंच महोदय ने भी पटवार हल्का [illegible] त्रुटी पर ध्यान नही दिया तथा उसे तस्दीक कर दिया जबकी शुरू से ही स्कूल / [illegible] कॉलेज में तथा सभी दस्तावेजों अर्थात आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम परशुराम मीना ही दर्ज चला आया है जो परशुराम पुत्र इन्दर मीना है तथा किसी भी रिकार्ड में छुटटन नाम दर्ज नही रहा है। उक्त त्रुटी पटवार हल्का की

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अनभिज्ञता व त्रुटी के कारण हुई है जिसमे अपीलान्ट की कोई दोष व गलती नही रही है। नामांतकरण भरते व तस्दीक करते समय अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नही मिला क्योंकि अपीलान्ट उस उस समय व बाद में कई वर्षों से गाँव में ना रहकर सवाई माधोपुर एवं कोटा में अध्ययनरत रहा है एवं वर्तमान में भी नौकरी हेतु कम्पीटीशन की तैयारी करने के लिए कभी जयपुर तो कभी कोटा में रहता आया है जिस कारण उसे नांमातकरण मे हुई इस त्रुटी की जानकारी नही हो पाई अन्यथा उसी समय व उसके बाद में अपीलान्ट उसके दुरस्त करवा देता । इस त्रुटीपूर्ण नामांतकरण का इन्द्राज जमाबंदी मे होने से जमाबंदी रिकार्ड में भी अपीलान्ट का गलत नाम छुटटन ही दर्ज हुआ। जिस कारण अपीलान्ट को सरकारी सुविघाओ व सहायताओ के लाभ नही मिल सके। अपीलान्ट दिनांक 27.03.2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की कार्यवाही हेतु पटवार हल्का के पास कार्यवाही करने गया तो पटवार हल्का ने इस नामांतकरण की जानकारी देते हुए अपीलान्ट का सही नाम परशुराम के स्थान छुटटन दर्ज हो जाना बनाते हुए जमाबंदी में छुटटन दर्ज होना बताकर इसे दुरस्त करवाने के लिए कहा और कहा कि सही नाम दर्ज होने पर ही ई—मित्र पर कार्यवाही होकर तुम्हारी के वाई सी अपडेट होकर आगे की कार्यवाही हो सकेगी अन्यथा नही होगी। जब जाकर के अपीलान्ट को अपने नाम मे अशुद्धि का पता चला इससे पूर्व अपीलान्ट को इसकी कतई जानकारी नही थी। अपीलान्ट ने जिला कलेक्टर कार्यालय मे आकर इस नामांतकरण की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 28.03.2024 को भू—अभिलेखागार कार्यालय सवाई माधोपुर में नकल का प्रार्थना पत्र पेश करवाया जिस पर दिनांक 01.04.2024 को नामांतकरण की नकल प्राप्त हुई तथा आज बिना किसी देरी के यह अपील प्रस्तुत कराई है। अपीलान्ट ने अपील पेश करने मे जानबूझकर कोई देरी नही की है बल्कि उक्त कारण से ही अपीलान्ट नियत अवधि में अपील प्रस्तुत नही कर सका जो कि देरी का एक बोनाफाईड कारण होकर माफ फरमाये जाने योग्य है। इस हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र साथ में संलग्न है जिसे स्वीकार फरमाया जाकर अपील अन्दर मियाद समाअत फरमायी जावे । अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 360 ग्राम बाडोलास को पूर्ण रूप से या त्रुटीपूर्ण नाम छुटटन की हद तक अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के गलत नाम छुटटन के स्थान पर सही नाम परशुराम दर्ज कर पुनः नामांतकरण दर्ज व तस्दीक करने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की जरिये नोटिस तलबी की गयी। रेस्पो0 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अपीलाट वकील की बहस सूनी। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि अपीलान्ट के पिता इन्दर की मृत्यु दिनांक 27.07.2009 को हो चुकी है जिसकी ग्राम बाडोलास में कृषि भूमि स्थित है तथा उसकी मृत्यु के बाद पटवारी हल्का ने विरासत का यह नामांतकरण संख्या 360 उसके वारिसान अर्थात पुत्र—पुत्री एवं पत्नि के नाम भरा था जिसे सरंपच महोदय द्वारा स्वीकार कर तस्दीक फरमाया गया हैं। इस नामांतकरण में रेस्पो० संख्या 1 लगायत 4 के नाम तो सही दर्ज कर दिये गये लेकिन पटवार हल्का की अनभिज्ञता व गलती से अपीलान्ट का सही नाम परशुराम के स्थान पर छुटटन दर्ज कर दिया गया एवं सरपंच महोदय ने भी इस त्रुटी पर ध्यान नही दिया तथा उसे तस्दीक कर दिया। जबकि अपीलान्ट के स्कूल / कॉलेज में तथा सभी दस्तावेजात अर्थात आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम परशुराम मीना ही दर्ज चला आया है जो परशुराम पुत्र इन्दर मीना है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने की कृपा करें।

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:10:39 IST
Reason: Self Attested

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में वकील अपीलांट की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम बाडोलास तस्दीक दिनांक 07.06.2010 का अवलोकन किया। उक्त नामान्तकरण इन्द्र पुत्र शंकर मीना के फोत होने के बाद उसके वारिसानो के नाम खोला गया है। अपीलांट का कथन है कि अपीलान्ट का सही नाम परशुराम के स्थान पर छुटटन दर्ज कर दिया गया एवं सरपंच ने भी पटवार हल्का की इस त्रुटी पर ध्यान नही दिया तथा उसे तस्दीक कर दिया जबकी शुरु से ही स्कूल / कॉलेज में तथा सभी दस्तावेजात अर्थात आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम परशुराम मीना ही दर्ज चला आया है जो परशुराम पुत्र इन्दर मीना है। पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेजो का ध्यान पूर्वक अवलोकन करने पर अपीलांट का सही नाम परशुराम पुत्र इन्दर मीना है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

:— कियात्मक आदेश —:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा नामान्तकरण संख्या 360 ग्राम बाडोलास तस्दीक दिनांक 07.06.2010 खारिज किया जाता है। तहसीलदार सवाई माधोपुर को प्रकरण में रिमाण्ड किया जाकर आदेशित किया जाता है कि इन्द्र पुत्र शंकर मीना के वारिसानो के जॉच कर नामान्तकरण संख्या 360 में दर्ज आराजी का पुनः नामान्तकरण खोला जाकर हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय आज दिनांक 17/2/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 17:00:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner